**माननीय अध्यक्ष महोदय,**

हमारी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट प्रस्तुत करने में मुझे प्रसन्नता हो रही है।

2. वर्ष 2008 में प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों पर विश्वास जताते हुए हमें दोबारा सेवा करने का अवसर दिया था। उस समय हमने उत्तरदायी, जनकल्याणकारी एवं विकासोन्मुखी प्रशासन के लिए अनेक संकल्प लिए थे, जिसमें 1 रुपए किलो चावल, मुफ्त नमक, धान पर बोनस, किसानों को ब्याज मुक्त ऋण तथा 5 हॉर्स पॉवर तक के पंपों पर मुफ्त बिजली, महिला सशक्तीकरण, वनवासी, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्गों के उत्थान, उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त ऋण एवं पंचायती राज व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण उल्लेखनीय है।

3. मुझे प्रसन्नता है कि इन वायदों को पूरा करने के लिए हमने यथासंभव प्रयास किए हैं एवं आशानुरूप सफलता भी प्राप्त हुई है। प्रारम्भ से ही अंत्योदय हमारा मूल मंत्र रहा है। हमारी सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल में हमने प्रदेश के सभी वर्गों, विशेषकर गरीब, किसान, कर्मकार, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, निःशक्तजन, युवा एवं बेरोजगार के जीवन स्तर में सुधार के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। इस अवधि में हमारा वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ रहा है एवं आर्थिक विकास दर, विशेषकर कृषि विकास दर में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। साथ ही महत्वपूर्ण मानव विकास संकेतक जैसे – शिशु तथा मातृ मृत्यु दर में कमी, कुपोषण मुक्ति, साक्षरता, पेयजल आपूर्ति एवं सम्पूर्ण स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा कई क्षेत्रों में हमारी उपलब्धि राष्ट्रीय औसत से बेहतर रही है। इस बजट में भी समावेशी विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

4. मेरा यह भी मानना है कि इन उपलब्धियों को हासिल करने में हम भाग्यशाली रहे हैं, क्योंकि इस अवधि में प्रकृति ने भी अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखा। मैं विशेषकर किसानों एवं खेतिहर मजदूरों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिनकी कड़ी एवं सतत् मेहनत से खाद्यान्न उत्पादन में राज्य ने नये कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कृषि विकास के साथ–साथ राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में भी हम सफल हुए हैं। मुझे विश्वास है कि विकास का जो मजबूत ढांचा तैयार हुआ है, उस पर समृद्ध तथा प्रगतिशील छत्तीसगढ़ का निर्माण संभव होगा।

## आर्थिक स्थिति

5. अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालना चाहूँगा।

5.1 मैंने कल विधान सभा के पटल पर वर्ष 2012–13 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था। **2004–05 के स्थिर मूल्य पर वर्ष 2012–13 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 8.57 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। यह वृद्धि कृषि क्षेत्र में 5.27, औद्योगिक क्षेत्र में 6.74 तथा सेवा क्षेत्र में 12. 06 प्रतिशत अनुमानित है।** इसी अवधि में स्थिर मूल्य पर देश के सकल घरेलू उत्पाद में 5 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, जिसमें कृषि क्षेत्र में 1.8, औद्योगिक क्षेत्र में 3.1 तथा सेवा क्षेत्र में 6.6 प्रतिशत वृद्धि सम्मिलित है।

5.2 **इस प्रकार बारहवीं योजना में राज्य के लिए निर्धारित 9.1 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर के लक्ष्य के विरूद्ध प्रथम वर्ष 2012–13 में उपलब्धि 8.57 प्रतिशत होना अनुमानित है।** राज्य के आर्थिक विकास के इन आंकड़ों को हमें प्रचलित औद्योगिक मंदी की पृष्ठभूमि में देखना होगा, जिसके कारण विनिर्माण क्षेत्र में विकास दर अपेक्षाकृत कम 69 प्रतिशत रही है। इस स्थिति से उबरने के लिये हमने इस बजट में विशेष रियायत पैकेज का प्रावधान किया है। यहाँ पर मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में यह तथ्य लाना चाहूँगा कि इसी अवधि में देश के सकल घरेलू उत्पाद में मात्र 5 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित की गई है, जो कि निर्धारित लक्ष्य 8.2 प्रतिशत से

काफी पीछे है। **इस प्रकार छत्तीसगढ़ की उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है।**

5.3 **प्रचलित मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2011–12 के 1,39,515 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2012–13 के लिए 1,60,188 करोड़ रुपए होना अनुमानित है।**

5.4 **वर्ष 2012–13 में प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 52,689 रुपए होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2011–12 की 46,743 रुपए की तुलना में 12.72 प्रतिशत अधिक है,** जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय में 11.7 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

## भाग–एक

## कृषि

6. अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि बजट की शुरूआत किसानों की व्यथा पर प्रसिद्ध कवि मैथिलीशरण गुप्त की इन पंक्तियों के साथ करना चाहता हूँ :–

बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवा–सा जल रहा,
है चल रहा सनसन पवन, तन से पसीना ढल रहा।
देखो, कृषक शोणित सुखाकर हल तथापि चला रहे,
किस लोभ से इस आँच में वे निज शरीर जला रहे।।

6.1 मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूँगा कि गत वर्ष किसानों की समृद्धि को सर्वोपरि मानते हुए हमने पहली बार कृषि बजट प्रस्तुत किया था। बजट प्रस्ताव में 1 प्रतिशत की न्यूनतम दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण, लघु एवं सीमांत कृषकों के कालातीत ऋण माफी करने तथा 5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों के लिए 7,500 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्रदाय जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं सम्मिलित की गई थीं। **इसके फलस्वरूप कृषि ऋण वितरण में गत वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है एवं अब तक का सर्वाधिक 2,300 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है। साथ ही**

**28 हजार कृषि पंपों को ऊर्जीकृत किया गया है,** जिससे ऊर्जीकृत पंपों की अद्यतन संख्या 2 लाख 88 हजार हो गई है।

6.2 मुझे यह बताने में अत्यंत प्रसन्नता है कि इन योजनाओं के उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं। **इस वर्ष समर्थन मूल्य पर रिकार्ड 70 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान उपार्जन हुआ है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है। इससे किसानों को लगभग 9 हजार करोड़ का भुगतान किया गया है।**

7. **वर्ष 2013–14 में कृषि तथा कृषि से सम्बद्ध क्षेत्र के लिए 8,542 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि गत वर्ष के 6,244 करोड़ की तुलना में 37 प्रतिशत अधिक है तथा कुल बजट का 19.34 प्रतिशत है।** इसमें कृषि एवं उद्यानिकी के लिए 1,656 करोड़, पशुपालन के लिए 340 करोड़, सहकारिता के लिए 274 करोड़, सिंचाई क्षमता वृद्धि के लिए 2,010 करोड़, समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए 3,102 करोड़ तथा कृषि पंपों के लिए 386 करोड़ प्रमुख है।

7.1 मुझे सदन को यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि प्रचलित आर्थिक मंदी एवं कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद **किसानों से किए गए वायदे को पूरा करते हुए वर्ष 2012–13 में उपार्जित धान पर 270 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस दिया जाएगा। इस हेतु बजट में 1,750 करोड़ का प्रावधान है।** मुझे विश्वास है कि इससे किसानों की खुशहाली बढ़ेगी।

7.2 प्रदेश में ग्रीष्मकालीन धान के विकल्प के रूप में दलहन, तिलहन तथा मक्का की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी। इस हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है।

7.3 रासायनिक उर्वरक के बढ़ते हुए मूल्य को ध्यान में रखते हुए जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसे मिशन मोड के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाएगा।

7.4 धान के 27 प्रतिशत क्षेत्र में रोपा पद्धति से बुआई की जाती है एवं यह कार्य लगभग 15 से 20 दिवस की अल्पावधि में पूर्ण करना होता है। इसे देखते हुए पैडी ट्रांसप्लांटर की मांग बढ़ी है। **वर्तमान में पैडी ट्रांसप्लांटर पर 40 प्रतिशत अनुदान देय है। इसकी उपयोगिता तथा बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए अनुदान राशि बढ़ाकर 50 प्रतिशत की जाएगी।**

7.5 विगत वर्षों में धान की कटाई में कम्बाईन्ड हार्वेस्टर का उपयोग बढ़ा है। वर्तमान में इस पर राज्य शासन की ओर से कोई अनुदान देय नहीं है। **कृषि यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कम्बाईन्ड हार्वेस्टर पर 50 हजार रुपए का अनुदान देय होगा, जो कि कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने वाले उद्यमी के लिए लागू होगा।**

7.6 वन भूमि मान्यता अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रदेश के सुदूर अंचलों में निवासरत् 2 लाख 44 हजार वनवासियों को अधिकार पत्र प्रदाय किए गए हैं। **विगत दो वर्षों से उन्हें निःशुल्क बीज एवं उर्वरक की आदान सामग्री दी गई है। इस वर्ष भी यह योजना चालू रहेगी।**

7.7 गत वर्ष श्रीविधि पर आधारित धान की फसल को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना लागू की गई थी। इससे किसानों को 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उत्पादकता प्राप्त हुई है। **यह योजना आगामी वर्ष भी लागू रहेगी एवं 20 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में इस पद्धति से वृहद प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे।**

7.8 उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर **खाद के अग्रिम भंडारण हेतु मार्कफेड को 400 करोड़ का ब्याजमुक्त ऋण दिया जाएगा।** वर्ष 2011–12 के 100 करोड़ की तुलना में यह चार गुना है।

7.9 ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई प्रोत्साहन योजना में प्रावधान 25 करोड़ से बढ़ाकर 37 करोड़ किया गया है।

7.10 प्रदेश में लगभग 15 प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत महिलायें हैं। कृषि विकास के लिए संचालित योजनाओं में भू–स्वामियों को ही अनुदान का प्रावधान है, लेकिन खेत में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए किसी प्रकार की सहायता योजना नहीं है। **इसे ध्यान में रखते हुए खेतिहर मजदूरों के कौशल उन्नयन के लिए निःशुल्क कृषि उपकरण किट उपलब्ध कराए जाएंगे।**

7.11 प्रदेश में 9 शासकीय तथा 15 निजी कृषि महाविद्यालय स्थापित हैं। कृषि क्षेत्र में स्नातक विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए **कांकेर, कोरिया, रायगढ़, बेमेतरा तथा राजनांदगांव में कृषि महाविद्यालय एवं जगदलपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त रायपुर के कृषि महाविद्यालय में आगामी वर्ष से ''एग्री बिजनेस'' विभाग प्रारम्भ किया जाएगा।**

7.12 अध्यक्ष महोदय, कृषि उत्पादन, विपणन तथा प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत् कृषक समूह द्वारा बनाई गई उत्पादक कंपनियों को वर्तमान में किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। जबकि लघु उद्योगों को पूंजीगत तथा ब्याज अनुदान की सुविधा प्राप्त है। **मुझे सदन को सूचित करने में प्रसन्नता है कि कृषि उत्पादक कंपनियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा।**

## उद्यानिकी

8. विगत 5 वर्षों में केले के क्षेत्राच्छादन में तीन गुना तथा उत्पादन में शतप्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्तमान में पौधों की मांग की पूर्ति हेतु बड़ी मात्रा में टिशुकल्चर पौधे अन्य प्रांतों से आयात किए जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए **रायपुर एवं बिलासपुर में पी.पी.पी. मोड के अंतर्गत टिशुकल्चर लैब स्थापित किए जाएंगे।**

8.1 मैनपाट में आलू अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

## पशुधन विकास एवं मछली पालन

9. कृत्रिम गर्भाधान सेवा के विस्तार के फलस्वरूप प्रदेश में प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक उन्नत नस्ल के गौ–वंशीय पशुधन की वृद्धि हो रही है। इसके मद्देनजर बजट में **पशु चिकित्सा एवं प्रजनन सुविधा विस्तार हेतु 25 नवीन औषधालय की स्थापना एवं 15 औषधालयों को चिकित्सालय में उन्नयन करने बाबत् 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है।**

9.1 ग्रामीण युवकों को पशु चिकित्सा संबंधी विधाओं में पैरावेट के रूप में प्रशिक्षित करने तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में पहली बार **सूरजपुर, महासमुंद एवं जगदलपुर में वेटेनरी पॉलीटेक्निक की स्थापना की जाएगी।**

9.2 वर्तमान में प्रदेश में एकमात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग में स्थापित है। **वर्ष 2013–14 में बिलासपुर में नवीन पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।**

9.3 **ग्रामीण क्षेत्र में पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार एवं ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ''पशुधन मित्र योजना'' प्रारम्भ की जाएगी, जिसके अंतर्गत गौ–सेवकों को टीकाकरण, बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान सेवा आधारित मानदेय दिया जाएगा।**

9.4 पशु पालकों में उद्यमिता विकास हेतु भारत सरकार द्वारा नाबार्ड पोषित योजना प्रारम्भ की गई थी, लेकिन गत वर्ष से इस योजनांतर्गत राशि मिलना बंद हो गई है। **इसे ध्यान में रखते हुए अब राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना प्रारम्भ की जाएगी।**

9.5 परम्परागत गौ पालन, मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी कार्य हेतु कृषकों को अधिकतम 1 लाख तक का ऋण 1 प्रतिशत ब्याज दर पर दिए जाने की योजना लागू है। **अब इस योजना का विस्तार करते हुए 1 लाख से 3 लाख तक ऋण 3 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।**

9.6 प्रदेश के 5 प्रमुख शहर रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव एवं बिलासपुर में स्थापित गोकुल नगर में पशु चिकित्सालय स्थापित किए जाएंगे।

9.7 मछुआ कल्याण बोर्ड के गठन के लिए 67 लाख का प्रावधान किया गया है।

## सिंचाई

10. विगत 9 वर्षों में प्रदेश की सिंचाई क्षमता 23 से बढ़कर 33 प्रतिशत हो गई है। **बजट में सिंचाई के लिए 2,574 करोड़ का प्रावधान किया गया है।**

10.1 केलो वृहद परियोजना का कार्य पूर्ण होकर सिंचाई प्रारम्भ हो रही है, जिससे 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई होगी। **इस परियोजना के वितरक नहरों के निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु 60 करोड़ का प्रावधान है।** इसके अतिरिक्त अरपा–भैंसाझार वृहद सिंचाई योजना का निर्माण कार्य 2013–14 में प्रारम्भ होगा, जिससे 25 हजार हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। हसदेव बांगो वृहद परियोजना के आधुनिकीकरण तथा विस्तारीकरण के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।

10.2 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जगदलपुर जिले की चेराकुर मध्यम सिंचाई परियोजना के सर्वे का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

10.3 90 नवीन लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु 44 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे 45 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी।

10.4 भू–जल स्तर में वृद्धि तथा निस्तारी, पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल आपूर्ति के लिए प्रदेश की महानदी, शिवनाथ तथा जोंक नदी पर 595 एनीकट

चिन्हांकित किए गए हैं, जिनमें से अब तक 160 पूर्ण किए गए हैं तथा 128 निर्माणाधीन है। बजट में 242 एनीकट निर्माण हेतु 83 करोड़ का प्रावधान है।

10.5 निर्मित सिंचाई क्षमता के अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से पुरानी योजनाओं के पुनरूद्धार एवं जल उपभोक्ता संस्थाओं के सघन प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास हेतु एशियन डेव्हलपमेंट बैंक की सहायता से संचालित छत्तीसगढ़ विकास परियोजना की अवधि 31 मार्च, 2015 तक बढ़ाई गई है।

## भाग–2

## खाद्य

11. महात्मा गांधी ने कहा था कि **''गरीबी हिंसा का सबसे बुरा रूप है; यह दैवीय अभिशाप नहीं, मानव निर्मित है।''** मेरा मानना है कि गरीबी उन्मूलन के लिये खाद्य सुरक्षा एक प्रभावी निदान है। इसी अवधारणा से हमारी सरकार द्वारा विगत 7 वर्षों से प्रदेश के 35 लाख परिवारों के लिए खाद्यान्न सहायता योजना संचालित की जा रही है। **अब इस सहायता को कानूनी अधिकार का रूप देते हुए छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 लागू किया गया है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष है कि नागरिकों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार देने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम तथा एकमात्र राज्य है।** इस अधिनियम के लागू होने से प्रदेश के लगभग 42 लाख गरीब परिवारों को अत्यंत रियायती दर पर तथा 8 लाख सामान्य परिवारों को ए.पी.एल. दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए 850 करोड़ का प्रावधान है।

11.1 **खाद्य सुरक्षा के साथ–साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित कराना भी हमारा उद्देश्य है।** इस वर्ष प्रदेश के सभी अधिसूचित विकासखंडों में 5 रुपए की रियायती दर पर चना वितरण की योजना लागू की गई है। **इस योजना का विस्तार करते हुए वर्ष 2013–14 में शेष 61 गैर अधिसूचित विकासखंडों में पीली मटर दाल वितरण योजना लागू की जाएगी।** इन योजनाओं के लिए 289 करोड़ का प्रावधान है।

11.2 इसी क्रम में गरीबों के लिये संचालित दाल–भात केन्द्र योजना का विस्तार करते हुए 50 नवीन केन्द्र खोले जाएंगे एवं इन केन्द्रों में चावल के साथ–साथ रियायती दर पर दाल एवं नमक उपलब्ध करायी जाएगी।

11.3 पी.डी.एस. सुधार की दिशा में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी रहा है। गत वर्ष प्रायोगिक तौर पर रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर में ''कोर पी.डी.एस. योजना'' लागू की गई थी। **इसकी सफलता को देखते हुए वर्ष 2013–14 में योजना का विस्तार करते हुए प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की सभी दुकानों में यह योजना लागू की जाएगी।**

11.4 खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के लिए आधारभूत अधोसंरचना की आवश्यकता की पूर्ति हेतु आगामी वर्ष के लिए 550 दुकान–सह–गोदाम निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 55 करोड़ का प्रावधान है।

**11.5 समग्र रूप से खाद्य सुरक्षा मद में 2,000 करोड़ का प्रावधान है, जो अब तक का सर्वाधिक है ।**

## स्कूल शिक्षा

12. **स्कूल शिक्षा के लिए कुल 5,195 करोड़ का प्रावधान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक तथा कुल बजट का 12 प्रतिशत है।**

12.1 विगत 9 वर्षों में स्कूल शिक्षा संबंधी अधोसंरचना, मानव संसाधन तथा बुनियादी सुविधाओं के विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। **वर्ष 2003 की तुलना में विद्यालयों की संख्या 21 हजार से बढ़कर 55 हजार तथा शिक्षकों की संख्या 1 लाख 15 हजार से बढ़कर 2 लाख 50 हजार हो गई है। इसके फलस्वरूप प्रदेश में शिक्षक छात्र का अनुपात प्राथमिक स्तर पर 21 बच्चों पर 1 शिक्षक एवं माध्यमिक स्तर पर 30 बच्चों पर 1 शिक्षक हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।**

12.2 बालिका शिक्षा के क्षेत्र में हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। बसाहट के नजदीक शाला खोलने, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक तथा गणवेश एवं सरस्वती

सायकल योजना के फलस्वरूप **छात्राओं की दर्ज संख्या का अनुपात छात्रों के अनुपात के बराबर हो गया है।**

123 हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूल में छात्रों की दर्ज संख्या में वृद्धि के उद्देश्य से **50 पूर्व माध्यमिक शालाओं तथा 150 हाई स्कूलों के उन्नयन हेतु प्रावधान किया गया है।**

124 शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के हेतु **प्रदेश के 45 हजार अप्रशिक्षित पंचायत शिक्षकों को 2 वर्ष में प्रशिक्षित किया जाएगा।** इस वर्ष 10 हजार शिक्षकों को दूरस्थ शिक्षण पद्धति से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, शेष 35 हजार शिक्षकों को अगले शैक्षणिक सत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा।

125 अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुरूप शालाओं में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु 125 करोड़ तथा अशासकीय विद्यालयों में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु 35 करोड़ का प्रावधान है।

126 **प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी शालाओं के लिए भवन उपलब्ध करा दिए गए हैं। बजट में 100 हायर सेकेण्डरी शालाओं के भवन निर्माण के लिए 12 करोड़ का प्रावधान है।**

127 शालाओं में फर्नीचर, विज्ञान सामग्री, तथा प्रयोगशाला उपकरण हेतु 46 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

128 मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि **मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत रसोइयों का मानदेय 1,000 रुपए को बढ़ाकर 1,200 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा।**

## उच्च शिक्षा

13. प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु विगत 9 वर्षों में 7 विश्वविद्यालय तथा 58 महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं। महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए इस वर्ष 581 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है।

13.1 इस बजट में **पाली, मैनपुर, फिंगेश्वर, फरसगांव, सोनहत, भैरमगढ़, बतौली, तोकापाल, सरोना, रामचंद्रपुर, डुमरिया–जरही, मंगचुआ, साल्हेवारा, पिपरिया, जोबी तथा बेलोदी में नवीन महाविद्यालय, अंबिकापुर में विज्ञान महाविद्यालय तथा भाटापारा में विधि महाविद्यालय स्थापित करने हेतु प्रावधान रखा गया है।**

13.2 **जगदलपुर एवं दंतेवाड़ा में नवीन महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास स्थापित किया जाएगा।**

13.3 वर्ष 2012–13 से पूर्व खोले गए सभी महाविद्यालयों के लिए भवन की स्वीकृति दे दी गई है। बजट में इस वर्ष प्रारम्भ किए गए 9 महाविद्यालयों के भवन के लिए 4.50 करोड़ का प्रावधान है। अंबिकापुर एवं जशपुर कन्या छात्रावास का भवन निर्माण किया जाएगा।

## अनुसूचित जाति तथा जनजाति विकास

14. **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु बजट में 3,503 करोड़ का प्रावधान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है।**

14.1 प्रदेश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में शिक्षा का विकास एवं विस्तार हमारी प्राथमिकता रही है। **विगत 9 वर्षों में इन दूरस्थ अंचलों में संचालित विद्यालयों की संख्या 12 हजार से बढ़कर 23 हजार हो गई है तथा 915 छात्रावास एवं 853 आश्रम शालाएं स्थापित की गई है, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 12 लाख से बढ़कर 17 लाख हो गई है।**

14.2 इस बजट में **50 नवीन हाईस्कूल तथा 100 हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन, 77 नवीन छात्रावास एवं 20 आश्रम शालायें प्रारम्भ करने हेतु प्रावधान है।** साथ ही विद्यमान आश्रम शाला एवं छात्रावासों में 5 हजार सीट वृद्धि की जावेगी।

143 मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2013–14 से **प्रदेश के स्कूलों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की राज्य छात्रवृत्ति की प्रचलित दरों को दुगुना किया जाएगा। इस हेतु 96 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।** इसी प्रकार छात्रावास एवं आश्रम शालाओं में निवासरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों की शिष्यवृत्ति की दर 650 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। **छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति की स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से इसे ऑनलाईन किया जाएगा।**

144 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र की प्रतिभावान बालिकाओं को बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 5 कन्या शिक्षा परिसर संचालित है। **इस योजना का विस्तार करते हुए जगदलपुर, सूरजपुर, कबीरधाम, बीजापुर एवं कोण्डागांव जिलों में नवीन कन्या शिक्षा परिसर स्थापित किए जाएंगे।**

145 **अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्राओं के लिए संचालित शेष 90 छात्रावास एवं आश्रम शालाओं के लिए भवन निर्माण किया जाएगा। छात्रावासों एवं आश्रम शालाओं में सुरक्षा व्यवस्था हेतु 1,000 महिला नगर सैनिकों की नियुक्ति की जाएगी।**

146 नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों के मेधावी बच्चों को स्वस्थ्य परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदाय करने हेतु प्रारंभ की गई 'मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना' अत्यन्त सफल रही है। **इस योजना का विस्तार करते हुए सरगुजा एवं बस्तर संभाग के मुख्यालय में 250 सीटर ''प्रयास'' आवासीय विद्यालय प्रारंभ किया जाएगा।**

147 युवा कैरियर प्रशिक्षण योजनांतर्गत बिलासपुर एवं जगदलपुर में छात्रावास भवन निर्माण किया जाएगा।

## रोजगार एवं कौशल विकास

15. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2008 के विधान सभा चुनाव के समय हमने यह संकल्प लिया था कि सभी विकासखंड मुख्यालय में आई.टी.आई. खोले जाएंगे। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि राज्य निर्माण के समय प्रदेश में मात्र 44 आई.टी.आई. स्थापित थे, वर्तमान में प्रदेश के 146 विकासखंडों में से 102 विकासखंडों में आई.टी.आई. संचालित है। **आगामी वर्ष में देवभोग, डौंडी, बैकुण्ठपुर, रामचंद्रपुर, सरायपाली, पामगढ़ एवं पंडरिया में नवीन आई.टी.आई. प्रारंभ किए जाएंगे।**

15.1 इसी प्रकार 19 जिलों में पॉलीटेक्निक स्थापित किए जा चुके हैं एवं शेष सभी जिलों में पॉलीटेक्निक प्रारम्भ करने की योजना है। **वर्ष 2013–14 में मुंगेली, सुकमा एवं रामानुजगंज में पॉलीटेक्निक प्रारम्भ किए जाएंगे।**

15.2 रायपुर एवं रायगढ़ में संचालित कन्या पॉलीटेक्निक में ''कम्युनिटी कॉलेज'' स्थापित किए जाएंगे।

15.3 **मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि आई.टी.आई. में अध्ययनरत् बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों को देय छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित आय सीमा का बंधन समाप्त करते हुए सभी बी.पी.एल. छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी तथा छात्रवृत्ति की दर 100 एवं 125 रुपए को बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा।**

15.4 इसी प्रकार **बी.पी.एल. शिक्षित बेरोजगारों को देय बेरोजगारी भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा।**

15.5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से **अंबिकापुर एवं जगदलपुर में साईंस सेंटर की स्थापना की जाएगी।**

## स्वास्थ्य

16. **स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु बजट में 1,708 करोड़ का प्रावधान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 34 प्रतिशत अधिक है तथा कुल बजट का 4 प्रतिशत है।**

16.1 विगत 9 वर्षों में हमने स्वास्थ्य संबंधी अधोसंरचना की कमी की पूर्ति की दिशा में विशेष प्रयास किया है एवं 1,318 उप–स्वास्थ्य केन्द्र, 252 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 41 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 20 जिला चिकित्सालय स्थापित किए गए हैं। **इस बजट में 25 नवीन उप–स्वास्थ्य केन्द्र, 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रारम्भ करने हेतु प्रावधान है।** इसके अतिरिक्त 300 बिस्तरयुक्त जिला चिकित्सालय, दुर्ग को 400 बिस्तर में, 50 बिस्तरयुक्त पखांजूर सिविल अस्पताल को 100 बिस्तर में, किरंदुल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 बिस्तर चिकित्सालय में एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुम्हारी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन हेतु प्रावधान है।

16.2 **इसी क्रम में 140 उप–स्वास्थ्य केन्द्र, 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण का प्रावधान किया गया है।** माना, रायपुर एवं सीपत, बिलासपुर में 100 बिस्तर चिकित्सालय भवन तथा चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर एवं नर्सिंग महाविद्यालय, कवर्धा में महिला छात्रावास भवन का निर्माण किया जाएगा।

16.3 सुदूर नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 77 विकासखंडों में ''मोबाईल मेडिकल यूनिट'' के माध्यम से नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। **इसकी उपयोगिता को देखते हुए सभी 85 अनुसूचित जनजाति विकासखंडों में इसका विस्तार किया जाएगा।**

16.4 प्रदेश के सभी परिवारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई ''मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा'' योजना के अंतर्गत 5 लाख स्मार्ट कार्ड वितरित किए गए हैं। मई, 2013 तक सभी परिवारों को स्मार्ट कार्ड वितरित करने का लक्ष्य है।

16.5 ''मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम'' के अंतर्गत 200 स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र, 30 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य एवं जच्चा–बच्चा केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं एवं इन केन्द्रों हेतु 3 हजार शहरी मितानिन का चयन किया गया है।

16.6 **स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आगामी वित्तीय वर्ष से शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में सभी मरीजों के लिए निःशुल्क जेनरिक दवाईयाँ उपलब्ध करायी जाएगी।**

16.7 गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों के उपचार हेतु संचालित **''संजीवनी कोष'' का विस्तार करते हुए प्रचलित 13 बीमारियों के अतिरिक्त 17 अन्य बीमारियों हेतु भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।** साथ ही मस्तिष्काघात एवं किडनी प्रत्यारोपण हेतु सहायता राशि की निर्धारित अधिकतम सीमा को बढ़ाकर क्रमशः 3 लाख एवं 2 लाख किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संजीवनी कोष हेतु वर्तमान बजट प्रावधान 5 करोड़ को बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा।

16.8 प्रदेश में सिकलसेल बीमारी की व्यापकता को देखते हुए इसकी स्क्रीनिंग, प्रशिक्षण, ईलाज एवं अनुसंधान के समन्वित मॉनीटरिंग हेतु **प्रदेश में ''सिकलसेल इंस्टीट्यूट'' की स्थापना की जाएगी।**

16.9 स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के क्षेत्र में चिकित्सकों की कमी हमारी सबसे बड़ी समस्या है। **इसे ध्यान में रखते हुए वर्ष 2013–14 में चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ का संचालन प्रारम्भ किया जाएगा।** इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर का दाऊ कल्याण सिंह भवन में विस्तार किया जाएगा।

16.10 स्वास्थ्य के क्षेत्र में दक्ष मानव संसाधन की कमी हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। विगत वर्षों में शासकीय एवं निजी क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रशिक्षण संस्थायें प्रारम्भ की गई है, जिसके फलस्वरूप शासकीय चिकित्सालयों में लगभग 700 स्टॉफ नर्स एवं 5 हजार ए.एन.एम. की नियुक्ति संभव हुई है। **इस बजट में कांकेर, दंतेवाड़ा, कोरबा, कोरिया, जांजगीर–चांपा तथा**

**महासमुंद में जे.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र तथा बीजापुर, नारायणपुर एवं कबीरधाम में ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रावधान है।**

16.11 प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में एमसी.आई. के मापदंडों के अनुरूप संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मशीन उपकरण क्रय हेतु 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

16.12 मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमों में मितानिनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसे ध्यान में रखते हुए **प्रदेश के 66 हजार मितानिनों को स्वावलंबन पेंशन योजनांतर्गत लाभान्वित करने हेतु राज्य शासन की ओर से 1,000 रुपए अंशदान के रूप में भुगतान किया जाएगा।** इसके अतिरिक्त एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत मितानिनों को प्राप्त होने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा।

## महिला एवं बाल विकास

17. बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में महिलाओं में एनिमिया एवं शिशुओं में कुपोषण को क्रमशः 57 से 28 एवं 42 से 27 प्रतिशत तक लाना है, जो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। **इसे ध्यान में रखते हुए विभागीय बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वर्ष 2013–14 के लिए 1,346 करोड़ का प्रावधान किया गया है।**

17.1 राज्य गठन के समय 21 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित थे, जो अब बढ़कर 50 हजार हो गए हैं तथा लाभान्वित महिला एवं बच्चों की संख्या 12 लाख से बढ़कर 26 लाख हो गई है। बच्चों में कुपोषण की दर 61 प्रतिशत से घटकर 42 प्रतिशत हो गई है।

17.2 कुपोषित बच्चों तथा महिलाओं के लिए संचालित ''पूरक पोषण आहार कार्यक्रम'' के अंतर्गत पोषण आहार की दरों में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। लेकिन भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में इसे केवल विशेष रूप से प्रभावित 82 विकासखंडों में लागू किया गया है, जिससे व्यवहारिक कठिनाइयाँ

उत्पन्न होगी। **इसे दृष्टिगत रखते हुए हमने शेष 64 विकासखंडों में राज्य के संसाधनों से बढ़ी हुई दरों पर पोषण आहार प्रदाय करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के लिए 459 करोड़ का प्रावधान है।**

173 **इस बजट में 1,533 आंगनबाड़ी भवन निर्माण तथा 3,500 आंगनबाड़ी केन्द्रों में विद्युतीकरण का प्रावधान है।**

174 **6 माह से 3 वर्ष उम्र तक के कुपोषित बच्चों की देख–भाल एवं उन्हें संतुलित गर्म पका आहार उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता तथा पंचायतों की देख–रेख में फुलवारी केन्द्र संचालित किए जाएंगे।** इस हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है।

175 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के वर्तमान मानदेय में राज्य शासन का हिस्सा क्रमशः 500 रुपए एवं 250 रुपए प्रतिमाह है। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए खुशी है कि मानदेय को बढ़ाकर क्रमशः **1,000 रुपए एवं 500 रुपए किया जाएगा। इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 4,000 रुपए एवं सहायिकाओं को 2,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय प्राप्त होगा।**

176 वर्तमान में संचालित महिला कोष योजना के माध्यम से महिला स्व–सहायता समूह को 6 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है । **योजना को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ब्याज दर को घटाकर 3 प्रतिशत किया जाएगा । साथ ही बैंकों के माध्यम से इन समूहों को वितरित किये जाने वाले ऋण पर भी ब्याज दर 3 प्रतिशत होगी एवं इसके लिये राज्य शासन द्वारा बैंकों को ब्याज प्रतिपूर्ति की जाएगी ।**

177 महिला सशक्तीकरण को निर्धन युवक–युवतियों के विवाह हेतु संचालित ''मुख्यमंत्री कन्या दान योजना'' के अंतर्गत सहायता राशि 10 हजार रुपए प्रति

विवाह को बढ़ाकर 15 हजार रुपए की गई है। योजनांतर्गत अभी तक 35 हजार हितग्राही लाभान्वित हुए हैं।

## समाज कल्याण

18. **प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कराने हेतु ''मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा'' योजना प्रारम्भ की गई है।** प्रतिवर्ष 20 हजार वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। बजट में योजना के क्रियान्वयन हेतु 36 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

18.1 रेडक्रॉस सोसाईटी के सहयोग से प्रदेश के अस्थिबाधित निःशक्त व्यक्तियों के लिए अत्याधुनिक कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों के निर्माण हेतु माना में स्थापित रेफरल सेंटर के संचालन हेतु 36 लाख का प्रावधान है।

18.2 बिलासपुर में स्थापित ब्रेल प्रेस का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इस हेतु 1 करोड़ का प्रावधान है।

## पेयजल एवं स्वच्छता

19. पेयजल एवं स्वच्छता हेतु बजट में 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ 575 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

19.1 **वर्ष 2013–14 में 3 ग्रामीण समूह नलजल योजना एवं 14 नवीन नगरीय जल आवर्धन योजनायें प्रारम्भ की जाएगी।**

19.2 ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यांश के रूप में 118 करोड़, समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल, नलकूप खनन तथा स्पॉट सोर्स योजनाओं हेतु 36 करोड़ एवं शहरी क्षेत्रों में जल प्रदाय हेतु 124 करोड़ का प्रावधान है।

19.3 शालाओं में पेयजल एवं शौचालय व्यवस्था हेतु 15 करोड़ का प्रावधान है।

19.4 **ग्रामीण अंचलों के शासकीय शालाओं में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ''मुख्यमंत्री निर्मल शाला पुरस्कार'' योजना प्रारम्भ की जाएगी।**

## वन

20. वन संरक्षण एवं विकास के लिए 1,127 करोड़ का प्रावधान है, जो वर्ष 2012–13 की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है।

20.1 मुझे सदन को यह बताते हुए हर्ष है कि वन संरक्षण, प्रबंधन एवं विकास में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **इमारती लकड़ी के बिक्री से प्राप्त होने वाले लाभांश में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का हिस्सा 15 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाएगा। इसी प्रकार बांस की बिक्री से प्राप्त होने वाले लाभांश में समितियों का हिस्सा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर शतप्रतिशत किया जाएगा। इस हेतु 34 करोड़ का प्रावधान है। इससे लगभग 28 लाख वनवासी लाभान्वित होंगे।**

20.2 राज्य के 12 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरणपादुका वितरण हेतु 15 करोड़ तथा इन परिवारों के सदस्यों के समूह बीमा हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। **इसके अतिरिक्त लघु वनोपज संघ द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहक महिलाओं को निःशुल्क साड़ी प्रदाय की जाएगी।**

20.3 नवीन 3 जिले मुंगेली, बलौदाबाजार एवं बालोद में वन मंडल का गठन किया जाएगा।

## ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

21. अध्यक्ष महोदय, द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतरिम प्रतिवेदन में स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाले सहायक अनुदान के संबंध में की गई अनुशंसाओं को राज्य शासन द्वारा मान्य कर लिया गया है। तदनुसार पंचायती

राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाले सहायता अनुदान में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :–

21.1 **स्थानीय निकायों को राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 8 प्रतिशत हिस्सा अंतरित किया जाएगा। वर्तमान में यह 6 प्रतिशत है। इसमें से पंचायती राज संस्थाओं का हिस्सा 6.15 प्रतिशत होगा। वर्तमान में यह 4.79 प्रतिशत है।**

21.2 पंचायती राज संस्थाओं के लिए रखी गई राशि में जिला पंचायतों का हिस्सा 3 प्रतिशत, जनपद पंचायतों का हिस्सा 12 प्रतिशत तथा ग्राम पंचायतों का हिस्सा 85 प्रतिशत होगा।

21.3 **अनुसूचित क्षेत्र के विकासखंडों के 4,607 ग्राम पंचायतों की मूलभूत सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 2 लाख का विशेष अतिरिक्त आवंटन दिया जाएगा।**

21.4 प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1 पंचायत सहायक–सह–डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी।

21.5 **इन अनुशंसाओं के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाला सहायक अनुदान 519 करोड़ से बढ़कर 666 करोड़ हो जाएगा।**

22. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु 500 करोड़ तथा मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना हेतु 250 करोड़ का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना, ग्रामीण निर्माण योजना, ग्राम विकास योजना एवं हमारा छत्तीसगढ़ योजनांतर्गत 205 करोड़ का प्रावधान है।

22.1 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित होने वाली पुलिया के लिये निर्धारित मापदण्ड 5.5 मीटर के स्थान पर 7.5 मीटर चौड़ाई के पुल निर्माण का निर्णय लिया गया है, जिसके कारण लागत में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। इस हेतु बजट में 78 करोड़ का

प्रावधान है। इसके अतिरिक्त इन सड़कों के संधारण हेतु 221 करोड़ का प्रावधान है।

## लोक निर्माण

23. राज्य गठन के समय सड़कों का घनत्व 0.26 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर था। **विगत 9 वर्षों में हमने मौजूदा सड़कों के उन्नयन तथा नवीन सड़कों के निर्माण में लगभग 7,000 करोड़ का निवेश किया है, जिससे सड़कों का घनत्व बढ़कर 0.69 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है।**

23.1 इस बजट में **सड़क, पुल–पुलिया एवं भवन निर्माण हेतु 3,668 करोड़ का प्रावधान है, जो कि वर्ष 2012–13 की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है** एवं कुल बजट का 8.3 प्रतिशत है। इसमें नवीन निर्माण कार्य हेतु 2,290 करोड़ तथा संधारण मद् में 1,378 करोड़ का प्रावधान है।

23.2 **प्रदेश के 1,791 किलोमीटर लंबाई के राज्य राजमार्ग तथा महत्वपूर्ण मुख्य जिला सड़कों को डबल लेन मार्ग में उन्नयन किया जाएगा।** इनमें से एशियन डेव्हलपमेंट बैंक की सहायता से आगामी 3 वर्षों में 917 किलोमीटर मार्ग का उन्नयन किया जाएगा, जिसके लिए 300 करोड़ का प्रावधान है।

23.3 इस बजट में **मौजूदा सड़कों के संधारण पर विशेष जोर दिया गया है एवं वर्तमान प्रावधान 600 करोड़ को बढ़ाकर 1,000 करोड़ किया गया है,** जिसमें 15 हजार किलोमीटर लंबाई के मुख्य जिला मार्ग सम्मिलित है।

23.4 इसके अतिरिक्त 74 पुलों, 1 रेल्वे ओवर ब्रिज, 5 फ्लाई ओवर का निर्माण किया जाएगा।

23.5 नवगठित 9 जिलों में सर्किट हाऊस निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है।

## नगरीय प्रशासन

24. द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतरिम प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा अनुरूप नगरीय निकायों के प्रचलित सहायता अनुदान में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :–

24.1 **स्थानीय निकायों को राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 8 प्रतिशत हिस्सा अंतरित किया जाएगा जिसमें नगरीय निकायों का हिस्सा 1.85 प्रतिशत होगा। वर्तमान में यह 1.21 प्रतिशत है।**

24.2 **प्रत्येक नगर पंचायत को 1 करोड़ एक बार सहायता अनुदान तथा जिला मुख्यालय वाली 5 नगर पंचायतों बीजापुर, नारायणपुर, बलरामपुर, सुकमा एवं गरियाबंद को प्रति पंचायत 2 करोड़ एक बार सहायता अनुदान दिया जाएगा।**

24.3 इन अनुशंसाओं के आधार पर नगरीय निकायों को मिलने वाला सहायक अनुदान 131 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ हो जाएगा।

25. **नगरीय निकाय क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु 725 करोड़ का प्रावधान है।** इस राशि से नगरीय निकाय नगर सुराज अभियान के अंतर्गत जनसाधारण से प्राप्त मांगों की पूर्ति कर सकेंगे।

25.1 रायपुर–राजनांदगांव मेट्रो रेल योजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु 1 करोड़ का प्रावधान है।

25.2 भागीरथी नल जल योजना अंतर्गत तंग बस्ती क्षेत्रों में निवासरत गरीब परिवारों को निःशुल्क पेयजल कनेक्शन प्रदान करने के लिए 24.43 करोड़ का प्रावधान है।

25.3 **रायपुर, बिलासपुर, भिलाई एवं कोरबा को झुग्गी मुक्त शहर के रूप में विकसित करने के लिए राजीव आवास योजना अंतर्गत इस बजट में 218.75 करोड़ का प्रावधान है।**

## उद्योग

26. प्रदेश में ''नॉन कोर'' सेक्टर में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में नवीन ''कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012'' तथा ''ऑटोमोटिव उद्योग नीति, 2012'' लागू की गई है। **जनवरी माह में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के अवसर पर विभिन्न उद्योगों हेतु लगभग 1 लाख 60 हजार करोड़ रुपए के 272 एम.ओ.यू. निष्पादित किए गए है।**

26.1 औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योगों को ब्याज एवं लागत पूंजी अनुदान उपलब्ध कराने के लिए इस बजट में 65 करोड़ का प्रावधान है।

26.2 **नये औद्योगिक क्षेत्र एवं पार्कों की स्थापना तथा औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के लिए 47 करोड़ का प्रावधान है।**

26.3 वृहद औद्योगिक क्षेत्र लारा जिला–रायगढ़ की स्थापना हेतु भू–अर्जन तथा भूमि क्षतिपूर्ति के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है।

## ग्रामोद्योग

27. कोंडागांव में शिल्पसिटी के विकास कार्यों हेतु 2 करोड़ का प्रावधान है।

27.1 शिल्पकारों एवं उनके परिवार के सदस्य की मृत्यु तथा विकलांगता की स्थिति में एक्सग्रेसिया का भुगतान किया जाएगा।

## श्रमिक कल्याण

28. **असंगठित कर्मकारों के लिए स्वावलंबन पेंशन योजना लागू की जाएगी, जिसके अंतर्गत राज्य शासन की ओर से प्रति कर्मकार 1,000 रुपए का अंशदान दिया जाएगा। इस योजना से लगभग 3 लाख कर्मकार लाभान्वित होगे।**

28.1 बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य शासन का अंशदान 10–10 हजार है। **राज्यांश की राशि को**

**10 हजार से बढ़ाकर 40 हजार किया जाएगा। इसके फलस्वरूप प्रत्येक बंधुआ मजदूर के लिए पुनर्वास राशि 50 हजार होगी।**

28.2 बीजापुर, नारायणपुर, बलरामपुर एवं सुकमा में श्रम पदाधिकारी कार्यालय, बलौदाबाजार, महासमुंद एवं मनेन्द्रगढ़ में श्रम न्यायालय तथा जांजगीर–चांपा एवं बलौदाबाजार में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त रायपुर में औद्योगिक हाईजीन प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी।

## संस्कृति, पर्यटन एवं धर्मस्व

29. संस्कृति एवं पर्यटन विकास हेतु 105 करोड़ का प्रावधान है।

29.1 सिंधी साहित्य संस्थान को 20 लाख का अनुदान दिया जाएगा।

29.2 दामाखेड़ा में प्रवेश द्वार एवं शेड निर्माण, डोंगरगढ़ मंदिर में शेड निर्माण तथा भवानी मंदिर, डोंगरगढ़ के जीर्णोद्धार एवं सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 2 करोड़ का प्रावधान है।

29.3 राज्य में विविध मेला, उत्सव एवं प्रदर्शनी हेतु 3 करोड़ तथा समारोह एवं सम्मेलन हेतु 3 करोड़ का प्रावधान है।

29.4 छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन विकास मंडल को पर्यटन विकास हेतु 32 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा।

29.5 कैलाश मानसरोवर यात्रियों को दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि किए जाने हेतु 1 करोड़ का प्रावधान है।

## खेल एवं युवा कल्याण

30. **अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013 में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती मनाई जा रही है।** उन्होंने युवाओं का आव्हान करते हुए कहा था ''उठो, जागो और तब तक मत रूको, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए''। **राज्य के ग्रामीण युवाओं को प्रेरित करने हेतु उनकी स्मृति में ''विवेकानंद युवा**

**प्रोत्साहन योजना'' प्रारम्भ की जाएगी।** योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण युवा प्रोत्साहन केन्द्र की स्थापना की जाकर इनके माध्यम से युवाओं को रोजगार, नेतृत्व विकास, कानूनी अधिकार तथा दायित्व, पारम्परिक कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जाएगा। इस हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है।

30.1 **रायपुर एवं कोंडागांव में खेल अकादमी तथा केशकाल में स्टेडियम निर्माण हेतु प्रावधान रखा गया है।**

30.2 राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाना है। इस हेतु बिलासपुर में निर्माणाधीन खेल परिसर तथा निर्माणाधीन स्टेडियम को पूर्ण करने के लिए 37 करोड़ का प्रावधान है।

## ऊर्जा

31. अध्यक्ष महोदय, प्रचलित **एकल बत्ती विद्युत कनेक्शन योजना में बी. पी.एल. परिवारों को 30 यूनिट प्रतिमाह तक निःशुल्क बिजली प्रदाय की जा रही है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि इसे बढ़ाकर 40 यूनिट प्रतिमाह किया जाएगा। इससे 14 लाख बी.पी.एल. परिवार लाभान्वित होंगे।**

31.1 वर्ष 2013–14 में 20 हजार विद्युत पंप ऊर्जीकृत किए जाएंगे। इसके लिए विद्युत वितरण कंपनी को 136 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा।

31.2 वर्ष 2013–14 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की क्षमता में 1500 मेगावॉट की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इसी तारतम्य में वितरण कंपनी द्वारा अधोसंरचना एवं सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं।

31.3 नगरीय क्षेत्रों में विद्युत अधोसंरचना के विस्तार हेतु ''मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना'' के अंतर्गत 30 करोड़ का प्रावधान है।

31.4 राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 हेतु राज्यांश के रूप में 25 करोड़ प्रावधानित है।

## राजस्व प्रशासन

32. राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ तथा जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से **प्रत्येक 2 पंचायत पर 1 पटवारी नियुक्त किया जाएगा एवं इस हेतु कुल 4,800 पटवारी के पद स्वीकृत किए गए हैं।**

32.1 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत् कोटवारों के नक्सली हिंसा में मृत्यु एवं अंग–भंग की दशा में अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा।

32.2 छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निधि एवं पर्यावरण विकास निधि के अंतर्गत संग्रहित राशि का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों के मूलभूत विकास तथा पर्यावरण विकास के लिए किया जाएगा। इस हेतु 88 करोड़ का प्रावधान है।

## पुलिस एवं जेल प्रशासन

33. **नक्सली समस्या से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को आई.ई.डी. से सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।** इसे ध्यान में रखते हुए कांकेर स्थित जंगल वारफेयर स्कूल के माध्यम से यह प्रशिक्षण दिया जाएगा।

33.1 वर्तमान में जगदलपुर, राजनांदगांव एवं चंदखुरी में काऊन्टर इंसरजेंसी एवं एन्टी टेररिस्ट स्कूल संचालित है। **इसी क्रम में बिलासपुर में चौथा सी. आई.ए.टी. स्कूल स्थापित किया जाएगा।**

33.2 इस वर्ष चयनित लगभग **12 हजार पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण हेतु अस्थायी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।**

33.3 राज्य पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति सजग बनाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, **चंदखुरी में राज्य स्तरीय यातायात जागृति एवं प्रशिक्षण अकादमी प्रारम्भ की जाएगी।**

33.4 इस बजट में 7 नवीन थानों की स्थापना तथा 10 थाना भवनों के निर्माण हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

**33.5 पुलिस कर्मचारियों के लिए 505 आवासों के निर्माण हेतु 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।**

33.6 प्रदेश की 3 उपजेलों कबीरधाम, सारंगढ़ एवं सक्ती में वीडियो कांफ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा।

33.7 पुलिस, जेल प्रशासन तथा परिवहन के लिए बजट में 2,392 करोड़ का प्रावधान है।

## न्याय–प्रशासन

34. राज्य की न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना और नागरिकों के लिए त्वरित एवं सुलभ न्याय सुनिश्चित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पिछले दो वर्षों में राज्य में 33 नवीन न्यायालय स्थापित किये गये हैं। **वर्ष 2013–14 में 7 अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, 9 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग – 1 तथा 12 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग – 2 के न्यायालय स्थापित किए जाएंगे।**

34.1 न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तरीय न्यायिक अकादमी की स्थापना की जाएगी।

## संचार माध्यम

35. संचार प्रतिनिधियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की जाएगी। योजनांतर्गत प्रीमियम राशि का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

35.1 वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पत्रकार सम्मान निधि योजना प्रारम्भ की जाएगी।

## वर्ष 2012–13 का पुनरीक्षित अनुमान

36. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2012–13 के पुनरीक्षित बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा :–

36.1 राजस्व प्राप्ति का बजट अनुमान 31,379 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 32,326 करोड़ है। राजस्व प्राप्ति में यह वृद्धि, राज्य के कर राजस्व तथा केन्द्रीय अनुदान में 8 प्रतिशत वृद्धि के कारण है।

36.2 **व्यय का पुनरीक्षित अनुमान 37,574 करोड़ से बढ़कर 38,493 करोड़ संभावित है**। यह वृद्धि मुख्यतः विद्युत कंपनियों के अंशपूंजी में राज्य शासन के धनवेष्ठन बाबत् 204 करोड़ एवं अनुदान बाबत् 465 करोड़ तथा केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अनुदान में 482 करोड़ वृद्धि के कारण है।

36.3 **राजस्व आधिक्य का पुनरीक्षित अनुमान 2,959 करोड़ से घटकर 2,162 करोड़ संभावित है**। बजट में सकल वित्तीय घाटा 4,623 करोड़ अनुमानित था, जो कि पुनरीक्षित अनुमान में घटकर 4,590 करोड़ होगा। **पुनरीक्षित अनुमान में सकल वित्तीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद का 2.87 प्रतिशत है**, जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा 3 प्रतिशत से कम है। अध्यक्ष महोदय, सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आर्थिक मंदी के बावजूद सकल वित्तीय घाटे को सीमित रखने में हम सफल रहे हैं।

## वर्ष 2013–14 का बजट अनुमान

37. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2013–14 के लिये बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ :–

37.1 **वर्ष 2013–14 हेतु कुल राजस्व प्राप्तियां 37,445 करोड़ अनुमानित है, जो कि 2012–13 की पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में लगभग 16 प्रतिशत अधिक है**। कुल राजस्व में राज्य का स्वयं का राजस्व 21,372 करोड़ अर्थात् 57% एवं केन्द्र सरकार से प्राप्तियां 16,072 करोड़ अर्थात् 43% है। राज्य के स्वयं के राजस्व में 19 प्रतिशत एवं केन्द्रीय प्राप्तियों में 12 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। राज्य के कर राजस्व में 16 प्रतिशत तथा करेत्तर राजस्व में 25 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

37.2 **वर्ष 2013–14 के लिये अनुमानित कुल व्यय 44,169 करोड़ है, जिसमें आयोजना व्यय 24,699 करोड़ तथा आयोजनेत्तर व्यय 19,470 करोड़ है**। वर्ष 2012–13 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वर्ष 2013–14 का **कुल व्यय 15 प्रतिशत अधिक है। आयोजना व्यय में यह वृद्धि 9 प्रतिशत तथा आयोजनेत्तर व्यय में 24 प्रतिशत अनुमानित है**। आयोजनेत्तर व्यय में वृद्धि मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा किसानों को धान बोनस मद् में 1,750 करोड़ के प्रावधान के कारण है।

37.3 **आयोजना व्यय, कुल व्यय का 56 प्रतिशत अनुमानित है**। आयोजना व्यय में केन्द्रीय योजना का हिस्सा 9 प्रतिशत अर्थात् 2,208 करोड़ एवं राज्य आयोजना का 91 प्रतिशत अर्थात् 22,491 करोड़ है। **राज्य का प्रति व्यक्ति आयोजना व्यय 9,499 रुपए अनुमानित है जो कि गत वर्ष की तुलना में 899 रूपए अधिक है**।

37.4 **वर्ष 2013–14 में राज्य आयोजना व्यय 22,491 करोड़ अनुमानित है, जो कि वर्ष 2012–13 के पुनरीक्षित अनुमान 20,868 करोड़ की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक है**। इसमें केन्द्रीय सहायता 3,163 करोड़ तथा राज्य के स्वयं के संसाधन 19,328 करोड़ सम्मिलित है। इस प्रकार **राज्य आयोजना का 86 प्रतिशत स्वयं के संसाधन से पोषित** है। **गत वर्ष यह 85 प्रतिशत था**।

37.5 राज्य आयोजना में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिये 35 प्रतिशत, अनुसूचित जाति क्षेत्र के लिये 11 प्रतिशत तथा सामान्य क्षेत्र के लिये 54 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

37.6 **वर्ष 2013–14 में पूंजीगत व्यय 7,230 करोड़ अनुमानित है, जो कि वर्ष 2012–13 के पुनरीक्षित अनुमान 6,301 करोड़ की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है**। पूंजीगत व्यय, कुल व्यय का 16 प्रतिशत एवं सकल घरेलू उत्पाद का 4.21 प्रतिशत अनुमानित है।

37.7 **वर्ष 2012–13 के पुनरीक्षित अनुमान 15,715 करोड़ की तुलना में वर्ष 2013–14 में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय 19,470 करोड़ अनुमानित है**, जो कि 24 प्रतिशत अधिक है। इसमें वेतन भत्ते हेतु 6,799 करोड़, पेंशन हेतु 2,505 करोड़, ब्याज भुगतान हेतु 1,246 करोड़, विभिन्न योजनाओं हेतु आर्थिक सहायता के रूप में 177 करोड़ तथा विभिन्न संस्थाओं को अनुदान हेतु 5,157 करोड़ शामिल है।

37.8 **वर्ष 2013–14 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिये 41 प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्र के लिये 41 प्रतिशत एवं सामान्य सेवा क्षेत्र के लिये 18 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है**।

## राजकोषीय स्थिति

38. अध्यक्ष महोदय, राज्य के स्वयं के राजस्व में निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप इस बजट में पूर्व वर्षों की भांति **2,429 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित किया गया है**।

38.1 **राज्य का सकल वित्तीय घाटा 5,145 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत है तथा ''राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम'' में निर्धारित सीमा 3 प्रतिशत के बराबर है**। वित्तीय घाटे की पूर्ति ऋण लेकर की जायेगी।

38.2 वर्ष 2013–14 हेतु कुल प्राप्तियाँ 43,977 करोड़ तथा कुल व्यय 44,169 करोड़ अनुमानित किया गया है। इन वित्तीय संव्यवहारों के फलस्वरूप

192 करोड़ का शुद्ध घाटा अनुमानित है। **वर्ष 2012–13 के संभावित घाटा 1,485 करोड़ को शामिल करते हुये वर्ष 2013–14 का कुल बजटीय घाटा 1,677 करोड़ अनुमानित है**। इस घाटे की पूर्ति वित्तीय अनुशासन तथा अतिरिक्त आय के संसाधन जुटाकर की जावेगी।

## भाग – तीन

अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2013–14 के लिये कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा ।

39. सुव्यवस्थित कर प्रणाली वित्तीय प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है। आज से लगभग 2,300 साल पूर्व कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में करारोपण के सिद्धांत का वर्णन किया था, जिसके अनुसार कर संग्रहण निष्पक्ष, पारदर्शी तथा न्यायसंगत वितरण के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए तथा कर का भार इस प्रकार संतुलित होना चाहिए कि इसका आर्थिक गतिविधियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े एवं व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग का सतत् विकास हो सके। उनका यह सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है।

40. हमारी सरकार की कर प्रणाली प्रारम्भ से ही इन सिद्धांतों पर आधारित रही है। कर की दरों में युक्तियुक्तकरण, कर प्रक्रिया का सरलीकरण तथा चुस्त कर प्रशासन हमारी रणनीति रही है। इसके फलस्वरूप करदाताओं में स्वैच्छिक कर अनुपालन की प्रवृत्ति बढ़ी है तथा राजस्व संग्रहण में निरन्तर वृद्धि हुई है।

41. **वर्ष 2011 में हमने वाणिज्यिक कर जाँच चौकी समाप्त करते हुए राज्य को ''बैरियर–फ्री स्टेट'' का रूप दिया था। इससे व्यापार एवं उद्योग को बढ़ावा मिला है। मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि यह व्यवस्था 31 मार्च, 2014 तक जारी रहेगी।**

### वेट एवं प्रवेश कर

42. अध्यक्ष महोदय, किसानों तथा आम उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए मैं वेट एवं प्रवेश कर में निम्नानुसार रियायत प्रस्तावित करता हूँ :–

- धान का रोपा लगाने में उपयोग में आने वाले **''पैडी ट्रांसप्लांटर'' पर प्रचलित 5 प्रतिशत वेट को समाप्त कर इसे करमुक्त किया जाएगा।**

- **तीन हजार रुपए खुदरा मूल्य तक के मोबाईल फोन तथा मोबाईल फोन के पार्ट्स एवं एसेसरीज पर प्रचलित वेट की दर 14 से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा।**

- गत वर्ष लालटेन को वेट से मुक्त किया गया था। अब लालटेन के स्पेयर पार्ट्स को भी वेट से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

- अन–ब्रांडेड टोस्ट, सुगंधित दूध (फ्लेवर्ड मिल्क) तथा फूड कलर पर प्रचलित वेट की दर 14 से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा।

- कुकिंग गैस की बढ़ती कीमतों के कारण **''इनडक्शन कुकर'' का उपयोग बढ़ा है। इसे ध्यान में रखते हुए इस पर प्रचलित वेट की दर 14 से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।**

- ऊर्जा की बचत को प्रोत्साहित करने के लिए **''एल.ई.डी. बल्ब एवं लाईट'' पर प्रचलित वेट की दर 14 से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा।**

43. कतिपय वस्तुओं पर प्रचलित कर की दरों में विसंगति है, जिनके कारण व्यापार विचलन एवं कर अपवंचन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इसे दूर करने तथा स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने हेतु मैं निम्नानुसार युक्तियुक्तकरण प्रस्तावित करता हूँ :–

- कम्प्यूटर पर वेट की दर 5 प्रतिशत है, जबकि इसके पार्ट्स एवं यू.पी. एस. पर 14 प्रतिशत है। इसे घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा।

- वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु गत वर्ष सौर जनित उपकरण एवं कम्पोनेंट को वेट से मुक्त किया गया था। अब इस पर प्रचलित 1 प्रतिशत प्रवेश कर को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

- छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा पुस्तकों के प्रकाशन में लगने वाले पेपर पर प्रचलित 1 प्रतिशत प्रवेश कर समाप्त किया जाएगा।

- सड़क निर्माण के ठेके में कम्पोजिशन की दर आयाता ठेकेदार के लिए 4 प्रतिशत तथा अन्य ठेकेदार के लिए 2 प्रतिशत है, जबकि इन पर वास्तविक कर भार क्रमशः लगभग 2 तथा 1 प्रतिशत आता है। इस कारण सड़क निर्माण ठेकेदार कम्पोजिशन सुविधा का वास्तविक लाभ नहीं ले पा रहे हैं एवं उन्हें कर निर्धारण तथा रिफंड की प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। **इसे दृष्टिगत रखते हुए सड़क निर्माण के ठेके में कम्पोजिशन की दर आयाता के लिए 4 से घटाकर 2 प्रतिशत तथा अन्य ठेकेदार के लिए 2 से घटाकर 1 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।**

- राज्य में निर्मित स्टील इंगॉट तथा बिलेट का निर्माण में उपयोग होने पर प्रवेश कर नहीं लगता है, जबकि इनके क्रय–विक्रय पर 1.5 प्रतिशत प्रवेश कर देय है। इंगॉट एवं बिलेट का उपयोग अंततः रि–रोल्ड प्रोडक्ट के निर्माण में कच्चा माल के रूप में किया जाता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए **राज्य में निर्मित इंगॉट तथा बिलेट के क्रय–विक्रय पर लागू प्रवेश कर समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।**

- **मेडिकल ऑक्सीजन एवं नाईट्रस ऑक्साईड पर वेट की दर 14 से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।**

- पालतू जानवरों के उपयोग में लाए जाने वाले "पेट फूड" पर वेट की प्रचलित दर 14 से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा।

44. अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में प्रदेश के उद्योग, विशेषकर आयरन एवं स्टील उद्योग, आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, जिसके कारण प्रदेश की औद्योगिक विकास दर निर्धारित लक्ष्य 10 प्रतिशत के विरूद्ध उपलब्धि 7 प्रतिशत होने का अनुमान है। उद्योगों को मंदी के इस दौर से उबारने के लिए वेट तथा प्रवेश कर में निम्नानुसार राहत प्रस्तावित करता हूँ :–

- **टी.एम.टी. स्टील बार पर प्रचलित वेट की दर 5 से घटाकर 3 प्रतिशत किया जाएगा।**

- उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग होने वाले **''लाईट डीजल ऑयल'' पर प्रचलित वेट की दर 25 से घटाकर 14 प्रतिशत किया जाएगा।**

- **राज्य के बाहर से क्रय किए जाने वाले आयरन ओर, पिग आयरन एवं स्टील स्क्रेप के निर्माण में उपयोग होने की स्थिति में प्रचलित प्रवेश कर 1 से घटाकर 0.5 प्रतिशत किया जाएगा।**

- ''आयरन ओर पैलेट'' का निर्माण में उपयोग होने पर प्रचलित प्रवेश कर 1 से घटाकर 0.5 प्रतिशत किया जाएगा।

- राज्य के बाहर से आयातीत फर्नेश ऑयल के निर्माण में उपयोग होने पर प्रचलित प्रवेश कर 10 से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा।

- **सोयाबीन पर प्रचलित प्रवेश कर समाप्त किया जाएगा।**

- सोयाबीन तेल निर्माता इकाइयों द्वारा क्रय किए जाने वाले प्लांट–मशीनरी तथा स्पेयर पार्ट्स को प्रवेश कर से मुक्त किया जाएगा।

45. वेट तथा प्रवेश कर में प्रस्तावित इन सभी रियायतों के फलस्वरूप राज्य शासन को लगभग 30 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होना अनुमानित है।

## मुद्रांक एवं पंजीयन

46. अध्यक्ष महोदय, मैं कृषकों के हित में स्टॉम्प शुल्क में निम्नानुसार रियायत प्रस्तावित करता हूँ :–

- प्रचलित व्यवस्था में अनुसूचित जाति तथा जनजाति कृषकों को वित्तीय संस्थाओं से कृषि प्रयोजन हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए बंधक विलेखों पर स्टॉम्प शुल्क में पूर्णतः छूट प्राप्त है, जबकि सामान्य वर्ग के कृषकों के लिए यह छूट 10 लाख रुपए के ऋण तक सीमित है। इससे अधिक के ऋण विलेख पर 2 प्रतिशत की दर से स्टॉम्प शुल्क देय है। कृषि लागत में अप्रत्याशित वृद्धि तथा कृषकों के बैंक ऋण पर बढ़ती हुई निर्भरता को ध्यान में रखते हुए **सभी वर्ग के किसानों को कृषि ऋण से संबंधित बंधक विलेखों पर स्टॉम्प शुल्क में पूर्णतः छूट दिया जाना प्रस्तावित है।**

47. **उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से शिक्षा ऋण से संबंधित बंधक दस्तावेजों पर वर्तमान में देय 2 प्रतिशत स्टॉम्प शुल्क में पूर्णतः छूट दिया जाना प्रस्तावित है।**

48. मैं नगरीय निकाय क्षेत्र में अचल संपत्ति के विक्रय पर देय स्टॉम्प शुल्क में निम्नानुसार युक्तियुक्तकरण प्रस्तावित करता हूँ :–

- वर्तमान में नगरीय क्षेत्र में स्थित संपत्ति के अंतरण विलेखों पर 5 प्रतिशत की दर से स्टॉम्प शुल्क के अतिरिक्त 1 प्रतिशत नगर निगम शुल्क, 1 प्रतिशत पंचायत शुल्क तथा 0.25 प्रतिशत सरचार्ज, कुल 7.25 प्रतिशत शुल्क देय है, जबकि ग्रामीण अंचलों में नगर निगम शुल्क न लगने के कारण कुल 6.25 प्रतिशत शुल्क देय है। **इसका युक्तियुक्तकरण करते हुए नगरीय क्षेत्र में संपत्ति के क्रय–विक्रय पर देय 1 प्रतिशत पंचायत शुल्क को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।**

49. स्टॉम्प शुल्क में इन छूटों से राज्य शासन को लगभग 55 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होना अनुमानित है।

50. यह बजट मुख्य रूप से प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हमें यह आभास है कि योजनाओं की घोषणा ही काफी नहीं होती है, इनके प्रभावी क्रियान्वयन

से ही योजना सफल होती है। इसके लिए प्रशासन को चुस्त बनाया जाएगा तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। योजनाओं की सतत् निगरानी एवं मुल्यांकन हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित जी.आई.एस. प्रणाली का उपयोग किया जाएगा । साथ ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि सभी के सहयोग से हम राज्य के विकास के नये आयाम स्थापित करने में सफल होंगे। मैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' की इन पंक्तियों के साथ वर्ष 2013–14 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ :–

''लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती
हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती...
.... कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती
हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती ...''